संख्याः- 960/VI(1)/2016-02(04)/2016 T.C

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 08 जून, 2016

विषयः–केन्द्र वित्त पोषित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 'प्रसाद' योजना के अन्तर्गत Integrated Development of Kedarnath under the PRASAD Scheme हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–40/2–6–364/2015, दिनांक 3 मई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–5–PRASAD(05)/2015, दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा विषयगत योजना हेतु ₹ 3478.48 लाख के सापेक्ष लेखा विभाग, नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–PPA0/TCA/ACTS-4/IG(ADJ)/2015-16/1519-24, दिनांक 26 मार्च, 2016 के माध्यम से प्रथम किश्त (20%) के रूप में ₹ 695.70 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹ 447.00 लाख **(रूपये चार करोड़ सैंतालीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के स्वीकृत सम्बन्धी शासनादेश में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(viii) कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(x) धनराशि व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। और भारत सरकार से अग्रेत्तर किस्त स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–26, लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–01–पर्यटक अवसंरचना–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पोषित योजनाएं–01–डेस्टीनेशन्स एवं सर्किट्स हेतु आवस्थापना विकास–24–वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.160626009S द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या:– 960/VI(1)/2016–02(04)/2016 T.C, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5– वित्त अनुभाग–2./बजट निदेशालय।
6– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

(शैलेश बगौली)
सचिव।